यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ (पौड़ी)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ (पौड़ी) के माह नवम्बर 2019 से जनवरी 2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अंकित पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा श्री दीपक मालवीय एवं श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 25.02.21 से 06.03.2021 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सत्यबीर सिंह, लेखा परीक्षक तथा श्री दीपक मालवीय, एवं श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01/11/2019 से 08/11/2019 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह जनवरी 2019 से अक्तूबर 2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह नवंबर 2019 से जनवरी 2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पाबौ, एकेश्वर एवं थैलीसैण विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले मार्गों का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	शून्य	शून्य	474.28	462.11	2079.96	2079.91	शून्य	12.17	शून्य	0.05
2018-19	शून्य	शून्य	442.28	440.74	2051.21	2051.15	शून्य	1.54	शून्य	0.06
2019-20	शून्य	शून्य	183.79	182.64	2763.09	2554.25	शून्य	1.15	शून्य	208.84
2020-21 **(01/2021 तक)**	शून्य	शून्य	133.08	131.30	1555.14	1229.09	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	
				आधिक्य	बचत
2017-18	**---- शून्य ----**				
2018-19					
2019-20					
2020-21 (01/2021 तक)					

1. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"अ"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

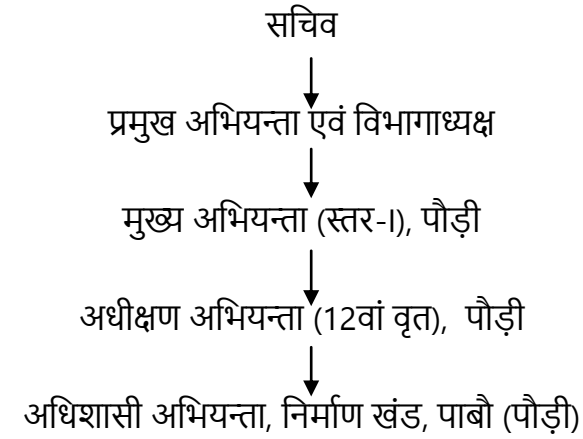

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, पाबौ, पौड़ी के माह 11/2019 से 01/2021 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, पाबौ, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **नवंबर 2020** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। "**वार्षिक अनुरक्षण मद में पाबौ-संतूधार-नौगांवखाल-चौबट्टाखाल-चौरीखाल मोटर मार्ग में नवीनीकरण कार्य"** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिसम्बर 2020 में खण्ड का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी सितंबर 2020 तक तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी सितम्बर 2020 तक की गई।

5. फार्म 51: माह जून 2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 5,22,960.00

भाग द्वितीय ` 1,24,98, 651.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह जनवरी 2021 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम `443108.00

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप `2,06,35,406.00

(ङ) भण्डार `1804644.00

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर- 1 <u>स्थल आवश्यकता के विपरीत कार्य निष्पादन के कारण परिहार्य व्यय रु 13.58 लाख</u>

पाबो संतुधार नौगाव खाल चौबट्टा खाल चौरी खाल मोटर मार्ग के नवीनीकरण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उक्त मोटर मार्ग के किमी 12 किमी (23**,**24,25,26,27,28,29,30,40,43,44,45)मे निर्माण कार्य हेतु मई 2020 मे लागत रु 187.46 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति उक्त किमी मे ही कार्य निष्पादन हेतु उक्त लागत हेतु ही मई 2020 मे प्रदान की गयी थी। प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति के अंतर्गत मार्ग के पॉट होल्स मे टॉप कोट, प्राइम कोट, टैक कोट, अंडुलेशन हेतु बी एम एवं एस डी बी सी से नवीनीकरण समेत अन्य कार्य निष्पादित किए जाने थे।

कार्य निष्पादन हेतु एक अनुबंध संख्या 03/एस ई-12/2020-21 दिनांक 16.09.20 को लागत रु 184.19 लाख का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य समाप्ति की अवधि दिनांक 15.03.21 निर्धारित थी। संप्रेक्षा अवधि (फरवरी 2021) तक उक्त कार्य पर प्रपत्र 64 के अनुसार रु 176.67 लाख का भुगतान किया गया था एवं ठेकेदार द्वारा चतुर्थ अंतिम भुगतान देयक रु 182.52 लाख का खंड मे प्रस्तुत था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग, पाबौ मे उक्त कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त 12 किमी मे से किमी 28**,**29,30,40,43,44एवं 45 मे पौट होल एवं पैचेस के सुधार हेतु डब्लू एम एम का निष्पादन नहीं किया गया था एवं न ही उक्त इंगित चेनेजों मे डब्लू एम एम के स्थान पर सुधार किसी अन्य प्रकार से किया गया था जो कि इंगित करता था उक्त इंगित किमी मे चयनित चेनेजों मे डब्लू एम एम की आवश्यकता नहीं थी एवं उक्त चेनेजों मे मार्ग की सतह कार्य निष्पादन के समय ठीक पायी गयी परंतु खंड द्वारा उक्त किमी की प्रावधानित चेनेज मे नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत सुधार की कार्यवाही पर रु 9.35 लाख (डब्लू एम एम हेतु रु0.92 लाख एवं बी एम हेतु रु8.43 लाख) धनराशि परिहार्य व्यय की गयी थी।

आगे कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त मार्ग की निर्धारित किमी के चेनेजों मे कुल 214.17 घन मीटर बी एम का प्रावधान था जबकि अभिलेखो के अनुसार उक्त कार्य पर कुल 262.82 घन मीटर अर्थात 48.65 घन मीटर बी एम अतिरिक्त प्रयुक्त किया गया था जिसके कारण कार्य पर अतिरिक्त व्यय भार रु 4.23 लाख के अतिरिक्त बी एम हेतु हेतु पड़ा था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि मार्ग की वास्तविक आवश्यकता अनुसार ही कार्य निष्पादित किया गया है एवं इंगित किमी की चेनेजों मे आवश्यकता अनुसार डब्लू एम एम एवं बी एम का प्रावधान किया गया है, एवं वर्षा ऋतु मे पॉट होल्स एवं पैचेस कि क्षतियाँ अधिक होने के

कारण बी एम मद मे अधिकता हुई जिसकी स्वीकृति हेतु विचलन प्रेषित है। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि अभिलेखो के अनुसार मार्ग के किमी 28**,**29,30,40,43,44एवं 45 मे पौट होल एवं पैचेस के सुधार हेतु डब्लू एम एम का निष्पादन नहीं किया जाना इंगित करता था उक्त इंगित चेनेज मे नवीनीकरण हेतु मात्र एस डी बी सी की ही आवशकयता थी एवं उसके उपरांत भी मार्ग पर बगैर विचलन स्वीकृति कराये अतिरिक्त बी एम निष्पादित कर परिहार्य व्यय रु 13.58 लाख किया गया था।

अतः परिहार्य व्यय रु 13.58 लाख प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग – II (ब)</u>

प्रस्तर 2: ओएफ़सी बिछाने से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग की मरम्मत न कर रोड कटिंग चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि `188.31 लाख का अवरोधन।

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के अधीन मार्गों में दूर संचार / विध्युत विभाग / जल संस्थान / जल निगम एवं अन्य संस्थान/विभागों द्वारा सीवर लाइन डालने, केबिल बिछाने, पाइप लाइन डालने अथवा अन्य किसी भी कारण से लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काटने के संबंध में कटिंग चार्जेज की दरें शासन द्वारा उत्तराखंड गठन के बाद जून 2005 में तथा तत्पश्चात मई 2011 में निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1099/10प्रकीर्ण-उत्तराखण्ड/2016 दिनांक 22.09.2016 भी निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/विभागों द्वारा सड़क काटने से पूर्व लोक निर्माण विभाग से पूर्व अनुमति ली जाती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त ले-आउट प्लान के आधार पर आगणन गठित कर कटिंग चार्जेज का बिल संबन्धित विभाग/संस्थान को भेज दिया जाता है। धनराशि प्राप्त होने के उपरांत संबन्धित विभाग को अनुमति प्रदान की जाती है तथा प्राप्त धनराशि से संबन्धित सड़कों की मरम्मत की जाती है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ, जनपद- पौड़ी गढ़वाल के डिपॉजिट पंजिका एवं संबन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि खंड को कर्णप्रयाग-नौटी-पैठानी मोटर मार्ग पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के सापेक्ष रिलाइन्स जियो से रोड कटिंग चार्जेज के रूप में चेक संख्या 519625 दिनांक 01/10/2018 के माध्यम से धनराशि `19860000/- प्राप्त हुयी थी जिसके सापेक्ष दिसंबर 2020 को धनराशि `18831043/-अवशेष थी जिससे स्पष्ट था कि उक्त सड़क का मरम्मत आतिथि तक नहीं किया जा सका था। जबकि काटी गई सड़कों को ससमय ठीक न किए जाने के फलस्वरूप यातायात में असुविधा के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया कि कर्णप्रयाग-नौटी-पैठानी मोटर मार्ग पर वन विभाग द्वारा आपत्ति के कारण वर्तमान तक रोड कटिंग का कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण `188.31 लाख का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। जिसे रोड कटिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत समायोजित कर लिया जाएगा।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जियो द्वारा मोटर मार्ग पर केबिल बिछाए पर वन विभाग की आपत्ति के सम्बन्ध में एवं इस सम्बन्ध में रिलाइन्स जियो के साथ हुये पत्राचार के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे जबकि उक्त धनराशि रिलाइन्स जियो द्वारा अक्टूबर 2018 में खंड को उपलब्ध करवा दी गयी थी।

अतः ओएफ़सी बिछाने से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग की मरम्मत न कर रोड कटिंग चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि `188.31 लाख के अवरोधन का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –II (ब)

प्रस्तर 3 (अ) : ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी की धनराशि `40815/- व जिला खनिज फाउंडेशन के अंशदान की धनराशि `10200/- की कटौती न किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक 211/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले खंडास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 सेमी से अधिक न हो), बजरी, गिट्टी, बैलास्ट सिंगल, पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की दरें ` 194.50 प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी है। लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष प्रपत्र "J" उपलब्ध करवाए जाते है जिनके आधार पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की जाती है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 1763/VII-1/2017/8-ख/16 दिनांक 17.11.2017तथा अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8-ख/16 दिनांक 17.11.2017के माध्मय से उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 प्रख्यापित की गयी थी। उक्त नियमावली के प्रस्तर 10 (न्यास निधि हेतु अंशदान) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से तथा सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाये।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ, जनपद- पौड़ी गढ़वाल के बिल/वाऊचरों व अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ठेकेदारों के बिलों से उक्त दर से रॉयल्टी/जिला खनिज फाउंडेशन के अंशदान की कटौती की जा रही थी परन्तु निम्न देयकों से प्रचलित दर से कम दर से रॉयल्टी/जिला खनिज फाउंडेशन के अंशदान की कटौती की गयी थी: -

(रु में)

क्रमांक	वाउचर सं	ठेकेदार/फर्म का नाम	अनुबन्ध संख्या	काटी जाने योग्य धनराशि		ठेकेदार के देयकों से काटी गयी धनराशि		कम काटी गयी धनराशि	
				रॉयल्टी	डीएम एफ़	रॉयल्टी	डी एम एफ़	रॉयल्टी	डी एम एफ़
1.	05/नवंबर 20	श्री भोपाल सिंह	82/ईई दि. 11.11.19	23435	5859	18555	4639	4880	1220
2.	09/नवंबर 20	श्री धरम सिंह	236/एई दि. 07.03.19	16890	4223	13374	3344	3516	879
3.	17/नवंबर 20	श्री गणेश सिंह रावत	05/एसई-16.08.2019	28523	7131	0	0	28523	7131
4.	20/नवंबर 20	श्री महावीर सिंह नेगी	109/एई 21.12.2019	12462	3112	9866	2467	2596	645
5.	29/नवंबर 20	श्री देवेन्द्र कुमार	232/ईई 07.03.19	6240	1560	4940	1235	1300	325
			कुल योग =	**87550**	**21885**	**46735**	**11685**	**40815**	**10200**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट था कि संबन्धित ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी की धनराशि 40815/- तथा जिला खनिज फाउंडेशन के अंशदान की धनराशि 10200/- की कम कटौती की गयी है जिससे कुल धनराशि 51015/- के राजस्व की हानि हुयी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि स्पष्ट आदेशों के अभाव में देयकों से कम रॉयल्टी काटी गयी है संबन्धित ठेकेदारों के अन्य देयकों से समायोजन कर लिया जाएगा।

प्रस्तर 3(ब) : त्रुटिपूर्ण गणना से ठेकेदारों को GST की धनराशि `27042/-का अधिक भुगतान।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ, जनपद- पौड़ी गढ़वाल के नवम्बर माह के बिल/वाऊचरों व अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि खंड द्वारा कार्य सम्पादन हेतु निर्गत सामग्री के सापेक्ष भी ठेकेदारों को जीएसटी का भुगतान किया गया था जिनका विवरण निम्नवत है: -

(रु में)

क्रमांक	**वाउ. सं**	**ठेकेदार/फर्म का नाम**	**भुगतान योग्य धनराशि**				**भुगतान की गयी धनराशि**	**अन्तर**
			संपादित कार्य की धनराशि (a)	निर्गत भंडार (b)	जीएसटी (c) = {12% of (a)-(b)}	कुल देय (a+c–b)		
1.	31/ नवंबर 20	श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी	931464	76000	102656	958120	967240	9120
2.	32/ नवंबर 20	श्री मुकेश कंडारी	867283	129200	88570	826653	842157	15504
3.	47/ नवंबर 20	श्री दौलत सिंह नेगी	930402	20150	109230	1019482	1021900	2418
		कुल योग =	**2729149**	**225350**	**300456**	**2804255**	**2831297**	**27042**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट था कि उक्त ठेकेदारों को जीएसटी की त्रुटिपूर्ण गणना के फलस्वरूप देय धनराशि के सापेक्ष `**27042/-** का अधिक भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश अधिक भुगतान किया गया जिसकी संबन्धित ठेकेदार के आगामी देयक से वसूली कर ली जाएगी।

इकाई के प्रतिउत्तरों से स्वतः ही उक्त आपत्तियों की पुष्टि होती है। अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर- 4: <u>बगैर विचलन स्वीकृत कराये ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान रु 13.87 लाख ।</u>

सतपुली एकेश्वर के किमी 13 से देवीधार, धायाडी, मनडाऊ अनु बस्ती बेलपानी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्राविधिक स्वीकृति 143.90 लाख वर्ष 2016 एवं 2017 मे प्रदान की गयी थी। विवरण निमन्वत है-

क्र सं	**कार्य का नाम**	**प्रशासनिक स्वीकृति का माह एवं राशि**	**प्राविधिक स्वीकृति का माह राशि**	**अनुबंध संख्या / कार्य समाप्ति की तिथि**	**अनुबंध लागत**	**भुगतान (रु लाख)**
1	सतपुली एकेश्वर के किमी 13 से देवीधार, धायाडी, मनडाऊ अनु बस्ती बेलपानी तक मोटर मार्ग का निर्माण	08/2016 रु 49.62 लाख	03/2017 रु 49.62 लाख	132/**EE** 19.06.18	24.05	37.92
		49.62 लाख	**49.62 लाख**		**24.05**	**37.92**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ मे उपरोक्त निर्माण कार्यो से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि-

सतपुली एकेश्वर के किमी 13 से देवीधार, धायाडी, मनडाऊ अनु बस्ती बेलपानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के सापेक्ष गठित अनुबंध संख्या 132/ई ई की लागत रु 24.05 लाख के सापेक्ष रु 37.92 लाख अर्थात रु 13.87 लाख बगैर विचलन स्वीकृत कराये अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि- विचलन स्वीकृत है, खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि खंड द्वारा विचलन संबंधी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

अतः बगैर विचलन स्वीकृत कराये ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग –II (ब)

प्रस्तर 5: त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप संबन्धित कार्मिकों को `47571/- का अधिक भुगतान।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 299/XVII(7) 50/16/2016 दिनाँक 30 दिसंबर 2016 के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में नियम निर्गत किए गए हैं।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग पाबौ, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत कर्मचारियों /अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं, वेतन बिलों एवं वेतन निर्धारण से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि

(i)श्री हरीश चंद (प्रधान सहा.) का दिनांक 01/01/2016 को सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार वेतन निर्धारण करते हुए लेवल-05 पर `31000 पर वेतन निर्धारण किया गया था जो कि क्रमिक वार्षिक वेतन वृद्धियों के उपरांत 01/2019 को वेतन `33900/ निर्धारित किया गया। श्री चंद को दिनांक 20/02/2019 को वरिष्ठ सहा. के पद से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई। उक्त पदोन्नति प्रदान करने पर `33900 पर एक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए `34900 के समकक्ष अथवा उससे अगले स्तर की धनराशि `35400(लेवल 06) पर किया जाना चाहिए था। किन्तु इसके विपरीत 02/2019को`36500 (लेवल – 06) पर वेतन निर्धारण किया गया। जो कि त्रुटिपूर्ण था। जिसके परिणामस्वरूप खंड द्वारा उक्त कर्मचारी को मार्च 2019 से आतिथि तक `22,213 का अधिक भुगतान किया गया था।

(ii)श्री बलवंत सिंह(बेलदार) की सेवा पुस्तिका में सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार वेतन निर्धारण करने में त्रुटि पाई गई। 01/01/2016 को एक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए `25,600 (लेवेल-1)पर वेतन निर्धारित किया गया। पुनः 07/2016 को कर्मचारी को एक अन्य वेतन वृद्धि प्रदान कर `26,400 पर वेतन निर्धारित किया गया जो की त्रुटिपूर्ण था। जिसके फलस्वरूप श्री बलवंत सिंह को आतिथि तक `25358 का अधिक भुगतान हुआ।

(iii)श्रीमती कमला देवी(बेलदार) की सेवा पुस्तिका में सातवें वेतन निर्धारण के उपरांत 01/01/2016 को `22800 के स्थान पर `21,800/-पर वेतन निर्धारित किया गया।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्री हरीश चन्द्र, प्रधान सहायक को `22213 एवं श्री बलवन्त सिंह (बेलदार) को `25258/- का अधिक भुगतान किया गया था तथा श्रीमति कमला देवी (बेलदार) को कम भुगतान किया जा रहा था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा आपत्ति को स्वीकारते हुये आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है। जिससे आपत्ति की स्वतः ही पुष्टि होती है।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप संबन्धित कार्मिकों को `47571/- के अधिक भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**अनिस्तारित प्रस्तर**	
		भाग 2 अ	**भाग 2 ब**
2.	72/2019-20	----	02, 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
78/2017-18	STAN 01	प्रस्तुत की गयी है	विभाग/खण्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रस्तर के संबंध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या के सन्दर्भ में विधायक निधि एवं दैवीय आपदा मद में अवरुद्ध अवशेष धनराशि के पूर्ण समायोजन तक प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	यथावत
72/2019-20	प्रस्तर 02 & 03	उत्तरालेख सक्षम अधिकारी स्तर से प्रेषित किए गए हैं।	अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर उचित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।	''

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलोकित नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः -

शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

शून्य

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
(i) श्री प्रत्युष कुमार	अधिशासी अभियंता	16.02.2015 से 14.01.2020 तक
(ii) श्री दिनेश मोहन गुप्ता	अधिशासी अभियंता	15.01.2020 से वर्तमान तक

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
(i) श्री श्रवण शाह	खंडीय लेखाधिकारी	अगस्त 18 से सितंबर 2020 तक
(ii) श्री के के सागर	खंडीय लेखाधिकारी-I	22/09/20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ, पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ एएमजी-II को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)